"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2004—वैशाख 31, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988), अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री सी. एच. बेहार, भा.प्र.से. (1988), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं श्री एस. के. कुजूर, भा. प्र. से. (1986), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2004

क्रमांक ई 1-2/2004/1/2.—श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से. (1990), कलेक्टर, महासमुंद को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उद्योग एवं प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. तथा पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ किया जाता है .श्री पाठक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (Chips) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री गौरव द्विवेदी, भा.प्र.से. (1995), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुंद पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2004

क्रमांक 1092/233/2004/1/2/लीव.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 6-5-2004 से 14-5-2004 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 मई एवं 16-5-2004 तक का शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2004

क्रमांक 2607/डी-1050/21-ब/छ.ग./2004.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 566/डी-4826/21-ब/छ.ग./2004, दिनांक 19-1-2004 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई

अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
		कांकेर	2
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	3
		जांजगीर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
3.	दुर्ग	दुर्ग	3
4.	रायगढ़	रायगढ़	2
		जशपुर नगर	1
5.	रायपुर	रायपुर	7
6.	राजनांदगांव	कवर्धा	1
7.	सरगुजा	अंबिकापुर	3
		सूरजपुर	3
		रामानुजगंज	1
		कुल	31

Raipur the 27th April 2004

No. 2607/D-1050/21-B/C.G./2004.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958,(No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 566/ D-4826/21-B/C.G./2004, Raipur, dated 19-1-2004 of this department, the State Government, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, hereby, constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date the Presiding Judge take over charge at those places :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Bastar at Jagdalpur	Jagdalpur	1
		Kanker	2

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Bilaspur	Bilaspur	3
		Janjgir	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
3.	Durg	Durg	3
4.	Raigarh	Raigarh	2
		Jashpur Nagar	1
5.	Raipur	Raipur	7
6.	Rajnandgaon	Kawardha	1
7.	Sarguja	Ambikapur	3
		Surajpur	3
		Ramanujganj	1
		Total	31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ-9-14/गृह/दो/2004.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र "समाज शिक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
1.	श्रीमती जयमन्ती निराला	सहायक महिला बाल विकास अधिकारी	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ-9-10/गृह/दो/2004.—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 जनवरी, 2004 को प्रश्नपत्र "खनिज प्रबंध" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
1.	श्री बेन्जामीन मिन्ज	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 1591/37/अ-82/2001-2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम्	मर्रीगुड़ा	1.707	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परियोजना केंप-कारली (गीदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 1593/39/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम्	गोटाईगुड़ा	0.682	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परियोजना केंप-कारली (गोदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 1596/40/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम्	केशाईगुड़ा	2.348	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक केंप-कारली परियोजना (गोदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 1592/01/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम्	पे. बासागुड़ा	3.426	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परियोजना कैंप-कारली (गीदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 1594/02/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	भोपालपटनम्	गिलगिच्चा	2.597	मेजर, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परियोजना कैंप-कारली (गीदम).	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	सारधा	3.692	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 03/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	लिमतरी	0.344	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2004

क्रमांक 04/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	कुवां	10.846	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ वि अ (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 01/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	तमता प.ह.नं. 3	4.249	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	तमता जलाशय योजना की मुख्य नहर चै. क्र. 45-135 एवं माइनर नहर 0 से 35 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 02/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चंदागढ़ प.ह.नं. 3	1.308	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	तमता जलाशय योजना की मुख्य नहर एवं शाखा नहर चंदागढ़ हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 03/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पंडरीपानी प.ह.नं. 3	2.188	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	तमता जलाशय योजना की मुख्य नहर एवं शाखा नहर पंडरीपानी हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 04/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चंदागढ़ दउआपारा प.ह.नं. 3	0.848	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	तमता जलाशय योजना नहर तमता शाखा नहर निमाण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 05/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कुडकेल खजरी प.ह.नं. 13	3.056	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	तमता जलाशय को कुडकेल नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 06/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	राजाआमा प.ह.नं. 19	11.162	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 फरवरी 2004

क्रमांक 07/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	राजाआमा प.ह.नं. 19	14.236	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 51/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	जिलिंग प.ह.नं. 19	0.619	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	नीमगांव जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 55/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सोनक्यारी प.ह.नं. 7	0.471	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग जशपुर (सेतु).	सन्ना सोनक्यारी पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 48/अ-82/04.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	लोदाम प.ह.नं. 22	2.897	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	बालाझर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 52/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	चड़िया प.ह.नं. 14	4.216	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	सोगड़ा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 49/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	पैकू प.ह.नं. 19	3.324	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	नीमगांव जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 53/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	रातामाटी प.ह.नं. 19	1.806	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	नीमगांव जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 54/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सोगडा प.ह.नं. 14	2.695	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	सोगडा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मार्च 2004

क्रमांक 50/अ-82/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सोगडा प.ह.नं. 14	3.722	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जशपुर.	सोगडा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 136/भू-अर्जन/अ.वि.अ./10-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	राटापाली प.ह.नं. 112/59	1.77	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 मार्च 2004

क्रमांक 137/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बनियातोरा प.ह.नं. 113/60	2.08	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 अप्रैल 2004

क्रमांक 134/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पंडरीपानी प.ह.नं. 113/60	0.98	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 एवं 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 अप्रैल 2004

क्रमांक 158/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कारागुला प.ह.नं. 113/60	1.25	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	अपर जोंक परियोजना के माइनर क्र. 4 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 अप्रैल 2004

क्रमांक 159/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पेन्ड्रावन प.ह.नं. 42	1.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	सिरको जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पांडे, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

महासमुन्द, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 175/भू-अर्जन/अ.वि.अ./22-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	नवागांव प.ह.नं. 42	10.18	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिरको जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 23 अप्रैल 2004

क्रमांक 176/भू-अर्जन/अ.वि.अ./28-अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	जुनवानीखुर्द प.ह.नं. 118/65	17.95	कार्यपालन अभियंता, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	नवाडीह जलाशय के डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेश पाठक, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक/क/रीडर/भू-अर्जन/कले./2004/475—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (2) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	[illegible] बस्तर कांकेर	मांदरी	0.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कांकेर.	बांधापारा तालाब योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2004

क्रमांक 1अ 82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मुंगेली

(ग) नगर/ग्राम-सिलदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.914 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1111	0.332
1129	0.450
1400/1	0.202
1464	0.125
1415/2	0.239
1439	0.040
1440	0.012
1447	0.097
1466	0.028
1133	0.219
1395	0.304
1104	0.421
1383	0.150
1391	0.121
1121/3	0.174
योग 15	2.914

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 14/अ- 82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-भाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190/3	0.012
187/1	0.134
1136	0.032
1232/2	0.073
1235/1	0.101
725/1	0.032
971	0.061
87	0.105
196	0.020

(1)	(2)
1148	0.170
126	0.045
127/4	0.093
128/2	0.061
127/3	0.020
1141/1	0.008
165/1	0.061
185/3	0.049
186	0.049
1134/2	0.061
81/1 क	0.174
81/2	0.113
658/3	0.069
658/4	0.041
1146/1	0.045
967/2	0.097
1099/3	0.004
1100/3	0.037
146	0.045
147/1	0.032
1235/8	0.073
1235/7	0.032
1150	0.008
1226	0.053
193	0.028
190/2	0.077
969	0.008
1099/1	0.020
1100/1	0.117
658/5	0.097
138/1	0.024
78	0.016
79	0.101
80	0.020
81/3	0.073
1139/2	0.077
972/1	0.178
1227	0.040
1035	0.097
190/1	0.105
671/1	0.040
192	0.073
970/2	0.073
1140	0.049
1135	0.028
1233	0.032
720/3	0.134
1133/1	0.032
1228/2	0.069
1151/3	0.032
1151/2	0.069
191	0.045
1231	0.016
195/1	0.101
149/2	0.045
1149/1	0.081
1039	0.012
1040	0.040
117/2	0.117
125	0.069
120	0.085
118	0.085
128/3	0.089
145	0.167
1151/1	0.032
1139/3	0.081
1036/2	0.073
1232/1	0.053
970/1	0.069
658/1	0.097
721	0.069
योग 78	5.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर खुज्जी जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में कियाजा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च 2004

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-देवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
698/1, 699/1	0.50
योग	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. परियोजना एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 मार्च 2004

क्रमांक 2113/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-जीराटोला, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.73 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
239	0.05
235	0.02
233/1	0.22
236	0.32
232	0.02
217	1.26
223	0.03
221	0.03
222	0.03
218/1	0.37
218/2	0.37
218/3	0.34
201	1.03
200/1	0.60
200/2	0.02

	(1)	(2)
	200/4	0.02
योग	16	4.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जीराटोला जलाशय के अंतर्गत उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2372/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बफरा, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	38	0.32
योग		0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अतरिया-बफरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2373/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बावली प.ह.नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	167	0.12
योग		0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बावली-पेटी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2374/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मड़ौदा प.ह.नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
120/1	0.10
191/3	0.03
123/2	0.10
223/5	0.07
223/6	0.07
223/4	0.12
योग 6	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अतरिया-कुकुरमुडा-बफरा मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, खैरागढ़ में कियाज ा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 29 मार्च 2004

क्रमांक 2375/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मुहडबरी, प.ह.नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
127/3	0.25
127/4	0.32
127/5	0.06
योग	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिकसे लिये आवश्यकता है-पिपरिया-गाता-पार मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय, खैरागढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अप्रैल 2004

क्रमांक 2455/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-केसली, प.ह.नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-112.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
391/2	0.75
391/4	0.03
476	0.05
391/3	0.10
392	0.21
394	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
571	1.29	422	1.50
395	0.75	483	0.33
482	0.25	534	1.00
540	6.37	535	1.62
396	0.50	418	1.50
188	0.44	419/1	0.64
520	0.32	420	0.20
558	0.68	536	1.85
508	0.50	539	2.75
509	0.20	419/2	0.36
464/2	0.60	467	0.15
465	2.30	470	1.45
491	0.75	471	1.85
473/1	4.11	488/2	0.43
473/2	0.30	492	0.70
473/3	0.36	423/2	0.56
475	1.43	464/7	0.05
477	0.10	464/8	0.57
478	0.10	533	0.93
527/2	0.37	481	0.15
479	0.15	545/1	1.68
487	1.33	546/1	2.70
518	0.90	484	2.80
480	0.10	486/1	2.00
506	1.15	545/5	0.50
557	0.40	486/2	4.13
510/2	0.33	541	0.30
510/4	0.48	488/1	0.43
510/6	0.57	489	1.00
513	0.83	504	0.91
515	0.69	496	0.67
519	0.40	497/1	0.35
524	0.30	510/1	0.30
525	0.83	510/3	0.43
521	2.83	510/5	0.43
522	2.08	503	0.30
523	0.53	505/1	0.70
527/1	0.50	505/3	0.70
529/1	0.38	191/5	0.59
400	0.25	505/2	1.40
401	0.16	529/2	0.38
404	3.50	529/3	0.40
537	1.80	530	0.40

(1)	(2)
532	0.95
538	3.00
543	0.85
191/3	0.40
191/4	0.58
545/7	1.50
545/8	1.00
545/9	0.63
545/10	1.00
545/2	0.50
546/4	2.37
545/3	1.25
545/4	0.50
545/6	1.53
546/3	0.68
546/2	1.00
547	2.00
549/1	0.27
554/2	0.56
549/2	0.32
552	0.06
554/1	0.70
555	0.13
556	0.45
559	0.32
561	0.90
191/1	1.30
191/6	0.50
499	2.10
योग 121	112.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुरैना जलाशय के डुबान क्षेत्र में अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनु-विभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक 152/सन् 2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम-कसही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.05 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
323/2	1.37
347/2	0.16
369	0.05
313	0.15
370	0.10
267	0.20
264	0.02
योग 7	2.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.